

२२/६/२३

पञ्जावली पेश हुई अर्थात् प्रकृत
 खण्ड । वही का वाद विद्वां चने
 का एवं उपिवारी का काउटर ब्लेक
 का नका वाद इमरत करने की
 रजवां प्रता के साथ पेश किया
 अर्थात् नका इलाका का पेश करना
 चाहते हैं यह विद्वां प्रार्थना
 पत्र में स्पष्ट नहीं है इलाकिल
 का इलाका पेश करने की अनुमति
 नहीं दी जा सकती है इलाका एवं
 काउटर ब्लेक का इलाका पेश
 नहीं करने की बातें के साथ
 विद्वां करने की अनुमति दी जाती
 है। पञ्जावली में दिनांक २६/६/२३
 की आदेशिका में काउटर ब्लेक
 के साथ संलग्न रहन इलाका
 दिनांक ०२/०२/१९२५ के क्रम में
 १२५ ए वल का प्रकरण काउटर
 पेश करने के निम्न बरखीलदार
 को दित है, इलाका २/२/१९२५
 एवं संलग्न पत्राकी संवत् २०३६-३७
 का कार्यालय किया। वाद का
 कारामी का किलान प्रेमपाल
 का संवत् १९२३ किया।

उपस्थित उपिवारी
 जिला जिला

मुल्तानि रदननाम, लताबंदी
 दिनांक 2036-39 की
 अवलोकन ले खबर है कि
 रदननाम 'बड़ा खेत' का जिला
 गन्ना का, मुल्तानि लताबंदी
 बड़ा खेत का पुराना खसरा
 60 38 है एवं वाद ग्रस्त
 आरामी पुराने खसरा 60
 60 एवं 60 गिन ले बनी
 है, ऐसी दशा में कदग्रस्त
 आरामी पर 175 RT act
 का प्रकरण बनना प्रथम
 दृष्टया संभावित लक्षण ले
 आह्वार नहीं होता ही पंड
 पञ्जावली के साथ संलग्न
 की गई पञ्जावली प्रतीक बनाम
 मोहन वर्ग में खसरा 60
 38 बड़ा खेत जो कि 38
 RT से कम है
 रदन रखा गया था अतः
 प्रतीक बनाम मोहन वर्ग में
 कर्षित आरामी के द्वारा 42 RT
 RT act का उल्लंघन प्रथम दृष्टया
 साबित है अतः द्वारा 175 RT
 act की कार्यवाही हेतु प्रोसिडिंग

उपस्थित अधिकारी
 जिला कोटा

लिखी जावेगी आदेशिअ दिनांक
 12/6/23 को लिखा गला आदेशपुराने
 खसरा नं 38 बड़ा खसरा श्री
 हर हर उकावी रहकर वादग्रस्त
 आदाली पुराने खसरा नं
 60 एवं 60 मिठ लख नवीन
 खसरा नं 70 एवं 73 को
 हर हर निष्प्रकावी डिफ
 पुराने पगावली फलल
 होकर नम्बर ले कर हो ।
 निरीय हरे इफलाह पंडर
 सुनाम गला पगावली ले रहन-
 नाम दिनांक अमरुड का कर
 इलाके निरुद्ध करीब अग
 कोहन के शाकिल पगावली डिफ
 एवं पगावली फलल होकर
 नम्बर ले कर हो ।

उपरोक्त अधिकारी
 इलाहाबाद, जिला कोटा